

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ ८३ /2021

दिनांक 25.05.2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./70/2021 दिनांक 19.04.2021 के द्वारा श्रीमती रामकन्या सोनी (RJ0770), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (साम्प्रदायिक दंगा) प्रकरण, जयपुर महानगर-II को दिनांक 15.04.2021 07.05.2021 तक 23 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया गया था, जिसमे से दिनांक 15.04.2021 से 19.04.2021 तक 05 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 24.05.2021

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/53/2013/ 3337

दिनांक 25.05.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 1932 दिनांक 12.05.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती रामकन्या सोनी (RJ0770), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (साम्प्रदायिक दंगा) प्रकरण, जयपुर महानगर-II
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (साम्प्रदायिक दंगा) प्रकरण, जयपुर महानगर-II
5. श्री रविन्द्र प्रताप सैनी (RJ0876), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03, जयपुर महानगर-II
6. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03, जयपुर महानगर-II
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार